कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन--07805-233336 फैक्स–233335

सूचना का अधिकार

सिंगरौली, दिनांक 08-11-2023

क्र0/मा0चि0/5795

प्रति,

महाप्रबंधक
म0प्र0 जल निगम
मर्यादित परि.कि.ई सिंगरौली

विषयः– सिंगरौली जिले में बैढ़न–2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के तहत पेयजल प्रदाय हेतु उच्च स्तरीय पानी की टंकी एवं वाटर पम्प निर्माण हेतु 1.608 हे0 (ऑनलाईन आवेदित 1.693 हे0) वन भूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्। (Proposal No. FP/MP/WATER/154588/2022)

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MBP008/2023-BHO दिनांक 21.10.2023
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल का पृष्ठा. क्रमांक/एफ–5/1219/2023/10–11/4736 भोपाल, दिनांक 23.10.2023

–000–

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (1) से. बैढ़न–2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के तहत पेयजल प्रदाय हेतु उच्च स्तरीय पानी की टंकी एवं वाटर पम्प निर्माण हेतु मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली में प्रभावित रकवा 1.608 हे0 (ऑनलाईन आवेदित 1.693 हे0) वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गयी है। जिसमें वन परिक्षेत्र चितरंगी का कक्ष क्र0 RF 14, 12, 07, 28, 35, 46 एवं PF 22, 06 वन परिक्षेत्र कर्थुआ का कक्ष क्रमांक PF 873 रकवा 1.608 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	मद का नाम	रकवा (हे0 में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	पर्यवेक्षण शुल्क की राशि	कुल योग
1	क्षतिपूर्ती वनीकरण	6.5	49,98,528/–	4,99,853/–	54,98,381/–
2	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू	1.608	19,75,573/–	—	19,72,573/–
			69,74,101/–	4,99,853/–	74,70,954/–

3. क्षतिपूर्ती वनीकरण की राशि रू. 49,98,528/–(रू. उनचास लाख अट्ठानवे हजार पाच सौ अट्ठासी मात्र), पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रू. 4,99,853/–(रू. चार लाख निन्यानवे हजार आठ सौ तिरपन मात्र) एवं एन.पी.व्ही. की राशि रू. 19,75,573/–(रू. उन्नीस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र) जिसे कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

4. प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें, साथ ही प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरण/नामांतरण, फार्म पी–2, कब्जा रसीद की प्रति तथा वन अधिकार अधिनियम के तहत् कलेक्टर सिंगरौली के प्रनाण पत्र की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली
7/11/2023

जावक क्र. 2056
दिनांक 08/11/23
सिंगरौली (म.प्र.)

F:\ARPIT DOCS\PIPE LINE (NAL JAL)\6.5\154588 waidhan-2\memo.docx